

प्रेषक-

उमेश कुमार
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
- 2- निबन्धक, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ ।
- 3- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, विनीत खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 4- निबन्धक, लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।
- 5- महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, उच्च न्यायालय भवन, इलाहाबाद ।
- 6- महाप्रशासक तथा शासकीय न्यासी, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय भवन, इलाहाबाद ।
- 7- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी विधि कोष्ठक, उत्तर प्रदेश शासन उच्चतम न्यायालय, तेज बिल्डिंग, 8-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
- 8- सचिव उ०प्र० राज्य विधि आयोग लखनऊ ।
- 9- सदस्य सचिव उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ।
- 10- विशेष सचिव न्याय अनुभाग-8(लेखा) उ०प्र० शासन।
- 11- महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, लखनऊ ।

न्याय अनुभाग-9(बजट)

लखनऊ दिनांक 04 अप्रैल, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-2019 में होने वाले संभावित व्यय के लिए धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 42 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2014-न्याय प्रशासन-, 2052- सचिवालय सामान्य सेवायें, 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण " के अन्तर्गत भारित तथा मतदेय अनुदान में प्राविधानित धनराशि, जिससे मा० उच्च न्यायालय/ आप सम्बन्धित है और जिसका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है, वित्तीय वर्ष 2018-2019 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- [REDACTED] सूची अनुदान संख्या-42 के अधीन लेखाशीर्षक " 2014-न्याय प्रशासन-- 105-सिविल और सेशन न्यायालय- 03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश " के अन्तर्गत 04-दीवानी न्यायाधीश, 05-अष्टाचार उन्मूलन न्यायाधीश, 06-मुंसिफ, 07-आदेशिका वाहन का व्यय(अदालती) तथा 08-अभिलेखागार और प्रतिलिपिकरण की धनराशियों को संविलीन किया गया है, अतः उक्त पर होने वाला व्यय " 03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश " के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से वहन किया जायेगा । उक्त के अतिरिक्त " 2014-न्याय प्रशासन- 114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल) " के अन्तर्गत " 06-विधि परामर्शी पुस्तकालय विधान भवन, की मर्दों को संविलीन किया गया है, अतः उक्त मर्दों की धनराशियों का व्यय " 2014-न्याय प्रशासन- 114-विधि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)- 04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता " के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से वहन किया जायेगा ।

3- उक्त के अतिरिक्त 14वें वित्त आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत की जा रही है, जिसे नियमानुसार संगत मानक मदों से वहन किया जायेगा ।

4- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधि आयोग, न्यासी समिति तथा मा0 उच्च न्यायालय के उपयोगार्थ अन्य मदों के लिए वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत की जा रही है, जिसे नियमानुसार संगत मानक मदों से वहन किया जायेगा ।

5- आय-व्ययक में उक्त स्वीकृत धनराशि के समक्ष व्यय की धनराशि की सूचना बी0एम0-13 के निर्धारित प्रारूप पर शासन को प्रत्येक माह अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

6- दिनांक 01 जनवरी,2016 से पुनरीक्षित वेतन से अवशेष के भुगतान की व्यवस्था मानक मद-52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) तथा सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए मानक मद-53 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज सहायता) में की जा रही है । दिनांक 01 जनवरी,2016 से 31 दिसम्बर,2016 तक पुनरीक्षित वेतन के अवशेषों का भुगतान वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के संगत शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार किया जायेगा ।

7- स्वीकृत धनराशि के व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करली जाये ।

8- आवंटित/ वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये । आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय ।

9- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

10- उपर्युक्त स्वीकृति शासन के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/ बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च ,2018 में निहित निर्देशों के अनुसार दी जा रही हैं ।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(उमेश कुमार)

प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 52 /2018/380(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय/आडिट, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 2 - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/ 2 ।
- 4- वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग- 12 ।
- 5- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 6- पे एण्ड एकाउण्ट आफिसर यू0पी0 भवन, नई दिल्ली ।
- 7- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, विधि कोष्ठक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
- 8- राज्य विधि अधिकारी कार्यालय, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
- 9- शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/ लखनऊ पीठ लखनऊ ।
- 10- विशेष सचिव, न्याय अनुभाग- 8 (लेखा), उत्तर प्रदेश शासन ।
- 11- न्याय सचिव शाखा के समस्त अनुभाग ।
- 12- पुस्तकालयाध्यक्ष, विधि परामर्शी पुस्तकालय, विधान भवन लखनऊ ।
- 13- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी / गार्ड बुक ।
- 14- वित्त (ई-12) अनुभाग / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2 ।
- 15- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्डबुक न्याय-9(बजट)।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 52/2018/380 /सात-न्याय-9(बजट)-2018-1(ब)/2018

दिनांक 04अप्रैल2018 की संलग्न सूची

(आय-व्ययक) स्वीकृति 2018-2019

राजस्व लेखा

2014- न्याय प्रशासन

102- उच्च न्यायालय

03- उच्च न्यायालय

(धनराशि लाख रूपयों में)

	मद	रूपये
भारित	01-वेतन	28277.16
भारित	02-मजदूरी	1000.00
भारित	03-मंहगाई भत्ता	2827.72
भारित	04-यात्रा व्यय	100.00
भारित	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	70.00
भारित	06-अन्य भत्ते	2469.80
भारित	07-मानदेय	134.00
भारित	08-कार्यालय व्यय	300.00
भारित	09-विद्युत देय	2400.00
भारित	10-जलकर/जलप्रभार	23.00
भारित	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	75.00
भारित	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	60.00
भारित	13-टेलीफोन पर व्यय	200.00
भारित	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	375.00
भारित	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20.00
भारित	17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	4.00
भारित	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2.00
भारित	22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0.60
भारित	26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	126.95
भारित	29-अनुरक्षण	100.00
भारित	42-अन्य व्यय	30.00
भारित	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	15.00
भारित	45-अवकाश यात्रा व्यय	400.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

भारित	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्ट वेयर का क्रय	50.00
भारित	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/सत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	90.00
भारित	49-चिकित्सा व्यय	180.00
भारित	51-वर्दी व्यय	20.00
भारित	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1608.29
भारित	योग- 03	40958.52

06-मा0 उच्च न्यायालय की पत्रावलियों का डिजिटाइजेशन

	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2000.00
	योग-	2000.00

07-उच्च न्यायालय में न्यायालय प्रबन्धक की व्यवस्था

	07-मानदेय	20.00
	42-अन्य व्यय	10.00
	योग-07	30.00

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

105-सिविल और सेशन न्यायालय

0102-भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई हेतु न्यायालय

	01-वेतन	269.57
	03-मंहगाई भत्ता	26.96
	04-यात्रा व्यय	1.20
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.75
	06-अन्य भत्ते	18.02
	07-मानदेय	0.06
	08-कार्यालय व्यय	13.00
	09-विद्युत देय	8.00
	10-जलकर/जलप्रभार	2.90
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4.00
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	40.00
	13-टेलीफोन पर व्यय	4.00
	14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफकारों/ मोटर गाडियों का क्रय	0
	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	12.00
	17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1.50
	29-अनुरक्षण	0
	42-अन्य व्यय	71.16
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.70
	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.50
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5.00
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	8.44
	49-चिकित्सा व्यय	4.80
	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	16.27
	योग-03	510.83

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

105-सिविल और सेशन न्यायालय
03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश

	01-वेतन	96940.78
	02-मजदूरी	80.00
	03-मंहगाई भत्ता	9694.08
	04-यात्रा व्यय	81.98
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	225.54
	06-अन्य भत्ते	4842.08
	07-मानदेय	0
	08-कार्यालय व्यय	603.79
	09-विद्युत देय	1000.00
	10-जलकर/जलप्रभार	25.00
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	217.45
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	800.00
	13-टेलीफोन पर व्यय	614.98
	14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफकारों/ मोटर गाडियों का क्रय	0
	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	250.00
	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	200.00
	17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	48.22
	29-अनुरक्षण	1000.00
	42-अन्य व्यय	100.00
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	37.54
	45-अवकाश यात्रा व्यय	129.83
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	266.31
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	167.45
	49-चिकित्सा व्यय	203.80
	51-वर्दी व्यय	50.00
	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	5752.56
	योग-03	123331.39

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

09-पारिवारिक न्यायालय

	01-वेतन	5134.76
	03-मंहगाई भत्ता	513.48
	04-यात्रा व्यय	3.00
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	8.00
	06-अन्य भत्ते	240.83
	07-मानदेय	0
	08-कार्यालय व्यय	5.00
	09-विद्युत देय	6.00
	10-जलकर/जलप्रभार	1.58
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.00
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00
	13-टेलीफोन पर व्यय	10.00
	17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1.00
	42-अन्य व्यय	1.00
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00
	45-अवकाश यात्रा व्यय	3.00
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.00
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	2.50
	49-चिकित्सा व्यय	3.60
	51-वर्दी व्यय	1.50
	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	310.00
	योग-	6255.25

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

11- ग्राम न्यायालय

	01-वेतन	450.00
	03-मंहगाई भत्ता	45.00
	04-यात्रा व्यय	1.00
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.50
	06-अन्य भत्ते	119.62
	07-मानदेय	0
	08-कार्यालय व्यय	5.00
	09-विद्युत देय	10.00
	10-जलकर/जलप्रभार	0.10
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.00
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100.00
	13-टेलीफोन पर व्यय	35.99
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.10
	17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	0.10
	42-अन्य व्यय	0.83
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00
	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	36.40
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1.00
	49-चिकित्सा व्यय	0.60
	51-वर्दी व्यय	0.25
	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	3.26
	योग-11	814.75

12-न्यायालय प्रबन्धक की व्यवस्था

	07-मानदेय	400.00
	योग-	400.00

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

14-चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन

1401- अतिरिक्त अदालतें

	07-मानदेय	1468.60
	08-कार्यालय व्यय	91.40
	42-अन्य व्यय	190.00
	योग- 1401	1750.00

1402- फास्ट ट्रैक कोर्ट

	07-मानदेय	7500.00
	08-कार्यालय व्यय	1000.00
	42-अन्य व्यय	1262.00
	योग- 1402	9762.00

1403- तकनीकी मैनुपावर की व्यवस्था

	07-मानदेय	1000.00
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	230.00
	योग- 1403	1230.00

1404- अधीनस्थ न्यायालय के वाद अभिलेखों की स्कैनिंग एवं डिजीटाइजेशन

	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1740.00
	योग- 1404	1740.00

1405- न्यायिक अधिकारियों ,मध्यस्थों एवं अधिवक्ताओं का प्रशिक्षण

	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	400.00
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	391.00
	योग- 1405	791.00

1406- लोक अभियोजकों का प्रशिक्षण

	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	97.00
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	200.00
	योग-1406	297.00

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

15-महिलाओं के उत्पीड़न से सम्बन्धित मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए न्यायालयों की स्थापना

	01-वेतन	1600.00
	03-मंहगाई भत्ता	160.00
	04-यात्रा व्यय	5.00
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.00
	06-अन्य भत्ते	34.00
	07-मानदेय	1.00
	08-कार्यालय व्यय	26.00
	09-विद्युत देय	2.00
	10-जलकर/जलप्रभार	1.00
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10.00
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50.00
	13-टेलीफोन पर व्यय	5.00
	17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	5.00
	42-अन्य व्यय	5.00
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5.00
	45-अवकाश यात्रा व्यय	10.00
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	100.00
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	25.00
	49-चिकित्सा व्यय	10.00
	51-वर्दी व्यय	1.00
	योग-	2060.00

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

16- कामर्शियल कोर्ट

	01-वेतन	34.40
	03-मंहगाई भत्ता	3.44
	04-यात्रा व्यय	0.29
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.08
	06-अन्य भत्ते	4.09
	08-कार्यालय व्यय	1.87
	09-विद्युत देय	0.26
	10-जलकर/जलप्रभार	0.09
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.72
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	8.63
	13-टेलीफोन पर व्यय	0.72
	17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	0.36
	42-अन्य व्यय	0.50
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.36
	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.29
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	17.27
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.72
	49-चिकित्सा व्यय	1.44
	51-वर्दी व्यय	0.14
	योग-	77.67

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

106-लघुवाद न्यायालय

03-अधिष्ठान

	01-वेतन	2415.64
	03-मंहगाई भत्ता	241.56
	04-यात्रा व्यय	2.50
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00
	06-अन्य भत्ते	109.07
	07-मानदेय	0
	08-कार्यालय व्यय	1.00
	09-विद्युत देय	1.50
	10-जलकर/जलप्रभार	0.60
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.30
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.50
	13-टेलीफोन पर व्यय	5.00
	17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	0.10
	42-अन्य व्यय	0.15
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50
	45-अवकाश यात्रा व्यय	5.00
	49-चिकित्सा व्यय	1.20
	51-वर्दी व्यय	1.00
	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	145.84
	योग-03	2936.46

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

108-दण्ड न्यायालय

03-नियमित अधिष्ठाण

	01-वेतन	18387.57
	03-मंहगाई भत्ता	1838.76
	04-यात्रा व्यय	7.20
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	25.00
	06-अन्य भत्ते	840.36
	07-मानदेय	0
	08-कार्यालय व्यय	30.00
	09-विद्युत देय	7.00
	10-जलकर/जलप्रभार	1.00
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10.00
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00
	13-टेलीफोन पर व्यय	110.00
	14- कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफकारों/ मोटर गाडियों का क्रय	0
	15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	65.00
	17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	2.00
	42-अन्य व्यय	4.30
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10.00
	45-अवकाश यात्रा व्यय	5.00
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	10.00
	49-चिकित्सा व्यय	15.00
	51-वर्दी व्यय	2.00
	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	1110.10
	योग-03	22482.29

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

04-रेलवे मजिस्ट्रों का अधिष्ठान

	01-वेतन	858.60
	03-मंहगाई भत्ता	85.86
	04-यात्रा व्यय	4.32
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.80
	06-अन्य भत्ते	39.75
	07-मानदेय	0
	08-कार्यालय व्यय	1.00
	09-विद्युत देय	1.00
	10-जलकर/जलप्रभार	0.05
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.50
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.10
	13-टेलीफोन पर व्यय	3.00
	42-अन्य व्यय	0.50
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50
	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.20
	49-चिकित्सा व्यय	0.72
	51-वर्दी व्यय	0.25
	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	51.88
	योग-04	1050.03

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

110-महाप्रशासक और शासकीय न्यासी
03-अधिष्ठान

	01-वेतन	60.36
	02-मजदूरी	0
	03-मंहगाई भत्ता	6.04
	04-यात्रा व्यय	0.20
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0
	06-अन्य भत्ते	2.93
	07-मानदेय	2.55
	08-कार्यालय व्यय	0.15
	10-जलकर/जलप्रभार	0
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.10
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.10
	13-टेलीफोन पर व्यय	0.25
	42-अन्य व्यय	0.05
	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.20
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.50
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.20
	49-चिकित्सा व्यय	0.50
	51-वर्दी व्यय	0.15
	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	3.75
	योग-03	78.03

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)

03-महाधिवक्ता

	01-वेतन	159.66
	02-मजदूरी	5.00
	03-मंहगाई भत्ता	15.97
	04-यात्रा व्यय	4.00
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.20
	06-अन्य भत्ते	12.36
	07-मानदेय	0.10
	08-कार्यालय व्यय	3.00
	09-विद्युत देय	50.00
	10-जलकर/जलप्रभार	10.00
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.00
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00
	13-टेलीफोन पर व्यय	3.00
	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100.00
	42-अन्य व्यय	0.22
	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.00
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	2.00
	49-चिकित्सा व्यय	1.50
	51-वर्दी व्यय	0.50
	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	9.92
	योग-03	382.43

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता

	01-वेतन	2520.00
	02-मजदूरी	30.00
	03-मंहगाई भत्ता	252.00
	04-यात्रा व्यय	3.68
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.30
	06-अन्य भत्ते	252.35
	07-मानदेय	0.25
	08-कार्यालय व्यय	50.00
	09-विद्युत देय	25.00
	10-जलकर/जलप्रभार	0.25
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20.00
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	22.35
	13-टेलीफोन पर व्यय	8.00
	14-मोटर गाड़ियों का क्रय	0
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7.00
	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	15000.00
	18-प्रकाशन	0
	26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0
	42-अन्य व्यय	10.00
	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	3.00
	49-चिकित्सा व्यय	5.00
	51-वर्दी व्यय	3.50
	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	230.21
	योग-04	18447.89

06-महाधिवक्ता उ०प्र०, इलाहाबाद तथा लखनऊ स्थित पुस्तकालय के सुदृढीकरण एवं विधि पुस्तकों/पत्रिकाओं/जर्नल्स के क्रय एवं वार्षिक चन्दे तथा पुस्तकों की वाइंडिंग के लिए व्यवस्था

	42-अन्य व्यय	10.00
	योग-06	10.00

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

800-अन्य व्यय

03-न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

	01-वेतन	769.56
	02-मजदूरी	3.00
	03-मंहगाई भत्ता	76.96
	04-यात्रा व्यय	0.60
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.00
	06-अन्य भत्ते	58.51
	07-मानदेय	0.00
	08-कार्यालय व्यय	7.00
	09-विद्युत देय	85.00
	10-जलकर/जलप्रभार	144.47
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4.00
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00
	13-टेलीफोन पर व्यय	3.00
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4.50
	17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	25.00
	18-प्रकाशन	3.00
	22-आतिथ्य/व्यय विषयक भत्ता आदि	3.50
	26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0
	29-अनुरक्षण	20.00
	42-अन्य व्यय	0.55
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00
	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.00
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	2.00
	49-चिकित्सा व्यय	6.00
	51-वर्दी व्यय	1.00
	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	46.50
	योग-03	1274.15

07-उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग

	20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	20.00
	31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	197.29
	53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज सहायता)	10.46
	योग-	227.75

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

09-लोक सेवा अधिकरण

	01-वेतन	1295.52
	02-मजदूरी	12.00
	03-मंहगाई भत्ता	129.55
	04-यात्रा व्यय	0.40
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00
	06-अन्य भत्ते	70.91
	07-मानदेय	0.0
	08-कार्यालय व्यय	12.00
	09-विद्युत देय	0.60
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5.00
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.85
	13-टेलीफोन पर व्यय	2.50
	14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफकारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	0
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	12.38
	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	9.00
	26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1.00
	29-अनुरक्षण	5.00
	42-अन्य व्यय	1.30
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.0
	45-अवकाश यात्रा व्यय	6.00
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	14.84
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	5.00
	49-चिकित्सा व्यय	15.00
	51-वर्दी व्यय	1.50
	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	79.17
	योग-09	1683.52

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

14- चौदहवे वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन

1402-ए0डी0आर0 केन्द्र स्थापित करना तथा मध्यस्थों का प्रशिक्षण

	07-मानदेय	1161.00
	योग-	1161.00

2052- सचिवालय सामान्य सेवायें

091- संलग्न कार्यालय

03- विधि कोष्ठक 30प्र0 भवन, नई दिल्ली

	01-वेतन	126.30
	03-मंहगाई भत्ता	12.63
	04-यात्रा व्यय	0.60
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.10
	06-अन्य भत्ते	9.27
	07-मानदेय	0.0
	08-कार्यालय व्यय	1.00
	09-विद्युत देय	1.50
	10-जलकर/जलप्रभार	0.15
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.20
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.20
	13-टेलीफोन पर व्यय	1.00
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1.50
	17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	70.00
	22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0.25
	42-अन्य व्यय	0.10
	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.30
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.50
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.50
	49-चिकित्सा व्यय	1.50
	51-वर्दी व्यय	0.10
	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	7.85
	योग-03	235.55

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

200- अन्य कार्यक्रम

04-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

	20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	62.50
	31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	1560.00
	योग-	1622.50

05-लोक अदालत

	20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	28.21
	31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	1040.00
	योग-	1068.21

06- अधिवक्ता कल्याण निधि से सम्बन्धित कल्याणकारी

स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अधिवक्ता कल्याण
निधि हेतु न्यासी समिति को अन्तरण

	42-अन्य व्यय	600.01
	योग-	600.01

12-उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान

	20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	2000.00
	योग-	2000.00

13-युवा अधिवक्ताओं के लिए कार्पस फण्ड

	20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	500.00
	योग-	500.00

14-चौदहवे वित्त आयोग की सस्तुतियों का क्रियान्वयन

1401- विधि विद्यालयों के माध्यम से लीगल ऐड

	20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	212.00
	योग-1401	212.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

1402- लोक अदालत

	20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	181.00
	योग-1402	181.00

15-पीडित क्षतिपूर्ति योजना-2014

	20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	200.00
	योग-	200.00

16-मध्यस्थों को मानदेय का भुगतान

	20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	5000.00
	योग-	5000.00

महायोग	मतदेय	212402.71
	भारित	40958.52

मतदेय - इक्कीस अरब चौबीस करोड़ दो लाख इकहत्तर हजार मात्र
भारित - चार अरब नौ करोड़ अठ्ठावन लाख बावन हजार मात्र

(उमेश कुमार)
प्रमुख सचिव